



2026:AHC-LKO:20696

उच्च न्यायालय इलाहाबाद
लखनऊ

अनुच्छेद 227 के तहत प्रकरण संख्या - 1123/2026

अब्दुल हकीम और 2 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

सुहैल अहमद और 5 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	:	प्रभाकर वर्धन चौधरी
प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता	:	

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति आलोक माथुर

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री पी.वी. चौधरी को सुना।
2. प्रस्तावित के परिप्रेक्ष्य में, निजी प्रतिवादियों को नोटिस निर्गत किए जाने से छूट प्रदान की जाती है।
3. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि विपक्षी पक्षकारों ने स्थायी निषेधाज्ञा मूल वाद संख्या 2016/2012 (सुहैल अहमद बनाम अब्दुल हकीम और अन्य) के रूप में पंजीकृत एक वाद दायर किया था तथा इस वाद के साथ ही, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 एवं 2 के तहत एक प्रार्थना पत्र भी दायर किया था। उक्त वाद की कार्यवाही में, याचिकाकर्ता प्रतिवादी हैं और वे उपस्थित हुए थे तथा उन्होंने एक लिखित बयान प्रस्तुत किया था। अपने लिखित बयान के पैराग्राफ संख्या 4 और 17 में, उन्होंने कहा था कि विवादित भूमि से संबंधित विवाद पहले ही एक मुकदमे के ज़रिए सुलझा लिया गया था। यह मुकदमा याचिकाकर्ताओं के कहने पर शुरू किया गया था और इसे मूल मुकदमा संख्या 498/1985 के रूप में दर्ज

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



किया गया था। इस मुकदमे में दिनांक 12.12.1991 को मुंसिफ कुंडा ज़िला प्रतापगढ़ द्वारा याचिकाकर्ताओं के पक्ष में डिक्री पारित की गई।

4. आगे यह भी निवेदन किया गया है कि दिनांक 01.05.2013 को अपील में आदेश दिनांकित 12.12.1991 को पुष्ट किया गया, और तत्पश्चात् एक द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष विचारार्थ लंबित है। उक्त कथनों के आधार पर, विचारण न्यायालय द्वारा विरचित वाद बिंदुओं में से एक यह था कि क्या वाद को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 के उपबंधों के अंतर्गत *न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद (रेस सबज्यूडिस)* के सिद्धांत को लागू करते हुए स्थगित किया जाना उचित है। तदनुसार, याचिकाकर्ताओं को विचारण न्यायालय के समक्ष यह सिद्ध करना था कि दोनों मुकदमों में विषय-वस्तु और पक्षकार समान थे, और इसलिए, बाद वाले मुकदमे को स्थगित किया जाना उचित है। विचारण न्यायालय ने वाद बिंदु संख्या 5 को एक प्रारंभिक वाद बिंदु के तौर पर तय किया और दिनांक 26.09.2022 के आदेश के ज़रिए उक्त वाद बिंदु का निर्णय वादीगण (विपक्षी पक्षकारों) के पक्ष में किया। उक्त वाद बिंदु पर फैसला करते समय, विचारण न्यायालय का यह मत था कि वाद संख्या 498/1985 में वर्णित उक्त ज़मीन का विवरण, वर्तमान वाद की कार्यवाही के विषय-वस्तु वाली ज़मीन से अलग था। इसके अलावा, यह भी पाया गया कि जब दोनों मामलों में विवाद अलग-अलग ज़मीन से संबंधित है, तो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 में निहित सिद्धांत लागू नहीं होगा; और तदनुसार, याचिकाकर्ताओं के तर्कों को खारिज कर दिया गया।

5. विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.09.2022 से व्यथित होकर, याचिकाकर्ताओं ने अपर जिला न्यायाधीश, प्रतापगढ़ के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की थी। अपर जिला न्यायाधीश, प्रतापगढ़ ने भी आदेश दिनांक 1.8.2025 के माध्यम से उस अपील को खारिज कर दिया है। परिणामस्वरूप, वर्तमान रिट याचिका में आदेश दिनांकित 1.8.2025 के साथ-साथ आदेश दिनांकित 26.9.2022 को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने उपरोक्त आदेशों को चुनौती देते हुए केवल एक ही तर्क प्रस्तुत किया है, और वह यह है कि दोनों मामलों में कार्यवाही एक ही संपत्ति से संबंधित थी; अतः,

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद (रेस सबजूडिस) का सिद्धांत इन पर पूर्णतः लागू होता था। याचिकाकर्ता का कहना है कि दोनों अधीनस्थ अदालतों ने इस वाद बिंदु पर गलत निर्णय दिया है, और इसी आधार पर उसने वर्तमान रिट याचिका को स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया है।

6. याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर विचार करते हुए, मैंने वाद-पत्र की जाँच की है, जिससे मुझे यह पता चला है कि वाद-ग्रस्त संपत्ति का विवरण वादियों (विपक्षी पक्षकारों) द्वारा वाद-पत्र के साथ संलग्न 'नक्शा नज़री' में दिया गया है। उक्त नक्शा नज़री में खसरा संख्या 569 'ख' से संबंधित एक नक्शा शामिल है, जिसका क्षेत्रफल 2-15-18 है; इसमें विवादित संपत्ति का क्षेत्रफल केवल 0-1-10 था। मैंने यह भी पाया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत लिखित बयान में, उन्होंने पैराग्राफ संख्या 13 और 17 के माध्यम से उक्त मुद्दा उठाया था, लेकिन वे गाँव ताला, परगना और तहसील पट्टी, ज़िला प्रतापगढ़ स्थित खसरा संख्या 629 और 622 का कोई विवरण देने में असफल रहे हैं। जैसा कि आदेश दिनांकित 26.09.2022 में बताया गया है, मूल वाद संख्या 2016/2012 में अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीज़न) द्वारा संदर्भित भूमि, वर्तमान विवादित भूमि से बहुत अलग और भिन्न है; जबकि वर्तमान विवादित भूमि, वाद संख्या 498/1985 का विषय थी।

7. उपर्युक्त परिस्थितियों को देखते हुए, मैं यह पाता हूँ कि विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को अस्वीकार कर दिया है कि दोनों ही मुकदमों में संबंधित भूमि भिन्न-भिन्न थी, और इसलिए न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद (रेस सब-जूडिस) का सिद्धांत लागू नहीं होगा। मैंने आगे यह पाया कि विचारण न्यायालय के आदेश को अपीलीय अदालत द्वारा बरकरार रखा गया है, जिसमें पैराग्राफ संख्या 8 में यह निष्कर्ष दिया गया है कि दोनों मुकदमों में सीमाएँ अलग-अलग हैं और यहाँ तक कि खसरा संख्याएँ भी पृथक और भिन्न हैं। तदनुसार, याचिकाकर्ताओं की आपत्तियाँ सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 के अंतर्गत नहीं आएँगी। इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलीलों को दोहराया है, परंतु मुझे ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



मिला है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि दोनों ही मामलों में विवादित संपत्ति एक ही है।

8. अतः, मुझे विचारण न्यायालयों के दोनों आदेशों में कोई त्रुटि नज़र नहीं आती। एक बार यह पाया जाने पर कि विवादित संपत्तियाँ अलग और भिन्न हैं, तो न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद (रेस सब-ज्यूडिस) का सिद्धांत लागू नहीं होगा।

9. अतः, उपर्युक्त कारणों से, यह याचिका गुणहीन है और तदनुसार, इसे **खारिज** किया जाता है।

10. विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह वाद की कार्यवाही को आगे बढ़ाए और विधि के अनुसार, शीघ्रता से उसका निर्णय करे।

(माननीय न्यायमूर्ति आलोक माथुर)

23 मार्च, 2026

मुक

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"